न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 12/2021

1 सुभाषचन्द्र मील पुत्र गणपत सिंह जाति जाट निवासी मीलों की ढ़ाणी तन कटराथल तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कुरड़ाराम पुत्र पेमाराम जाति कुमावत।
2 रणजीत पुत्र पोखरमल जाति कुमावत।
3 सन्तोष देवी पत्नी केदारमल जाति जाट।
4 हेमन्त पुत्र केदारमल जाति जाट।
5 राहुल पुत्र बिहारीलाल जाति जाट।
6 गीता देवी पत्नी बिहारीलाल जाति जाट निवासीगण कटराथल तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

कोर्ट ऑफ कन्टेपट आवेदन अन्तर्गत धारा
आदेश 39 नियम 2क अन्तर्गत आदेश 12 नियम

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र मील, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

BDL

–निर्णय–

दिनांकः– 1-2-24

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.02.2012 की अवमानना पर प्रस्तुत किया गया है।

बहस प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थी के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक आरम्भतः शून्य प्राथमिक फर्द मौका गलत रिपोर्ट व उक्त को ही फाईनल डिक्री विचारण न्यायालय ने घोषित की थी, उक्त प्राथमिक डिक्री में खसरा नम्बर 86,407,409,410,411,412 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर है। उक्त डिक्री की प्रथम अपील संख्या 59/2012 व 60/2012 इस न्यायालय में की जो विचाराधीन है उक्त में 60/2012 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2012 उक्त खसरो की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का पूर्ण स्थगन जारी किया था, उक्त गलत काल्पनिक डिक्री दिनांक 03.11.2011 को तत्कालीन हल्का पटवारी व तहसीलदार सीकर को तैयार नहीं की थी उक्त को उन्होनें लिखित में तथ्य अंकित करके विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर व इस न्यायालय में पेश किया है। उक्त इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन की अवहेलना करके गलत अप्रार्थीगणों द्वारा अन्यों से मिलकर गलत तरीके अवैध कब्जे से नये मकानात दिनांक 17.09.21 से बना रहे है, वर्तमान में उनकी चिनाई निर्माण कार्य लगभग 7 फुट ऊचाई तक किया जा चुका है, जिसके मौके की स्थिति में परिवर्तन हो चुका है तथा इस न्यायालय आदेश की अवहेलना होना सिद्व हो चुकी है। इसलिए यह कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट का आवेदन इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। आवेदन स्वीकार कर दोषियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन की अवहेलना

कर मौके पर निर्माण कार्य किया गया हो। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है। अवमानना आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन की अवहेलना कर मौके पर बा–जोत, निर्माण कार्य किया गया हो। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-2-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर